भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 35
जिसका उत्तर सोमवार 14 सितम्बर, 2020
23 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है

सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का विनिवेश

35. श्री पी॰ वेलुसामीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अर्थव्यवस्था में मंदी को रोकने तथा सुधार अभियान के अंतर्गत नकदी जुटाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों (पीएसयू) के विनिवेश या बिक्री करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को नीति आयोग से कंपनियों के विनिवेश संबंधी कोई सूची प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो विनिवेश हेतु सूचीबद्ध की गई कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(च) कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था पर कोविड़-19 के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कई उपायों को लागू किया है, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

• घरों में रहने वाले लोगों के लिए राहत के उपाय जैसे (भोजन, रसोई गैस) और वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, विकलांगों, महिला जन धन खाताधारकों, किसानों को नकद हस्तांतरण; स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए बीमा कवरेज; मनरेगा कामगारों के लिए मजदूरी में वृद्धि और भवन और निर्माण श्रमिकों के लिए सहायता; स्व-सहायता समूहों को सहवर्ती मुक्त ऋण और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ईपीएफ योगदान में कमी और अन्य उपायों के साथ-साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार का प्रावधान;

• एमएसएमईस के लिए राहत उपाय जैसे कि 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी के साथ सहवर्ती-मुक्त ऋण कार्यक्रम, आंशिक गारंटी के साथ तनावग्रस्त एमएसएमईस के लिए अधीनस्थ ऋण, गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों, आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थानों, एमएसएमईस में इक्विटी लगाने के लिए निधियों के कोष के लिए उधार के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना, रियायती ऋण के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त सहायता, साथ ही साथ अन्य उपायों के साथ-साथ सड़क विक्रेताओं के लिए क्रेडिट सुविधा(पीएम स्व-निधि);

• कर-फाइलिंग और अन्य अनुपालन की समय सीमा को स्थगित करने और जीएसटी फाइलिंग न करने के लिए जुर्माना ब्याज दर में कमी करने, सरकारी खरीद नियमों में बदलाव करने, एमएसएमई बकायों को शीघ्र निर्मुक्त करने, अन्य उपायों के साथ-साथ एमएसएमई के लिए आईबीसी से संबंधित छूट देने जैसे विनियामक और अनुपालनात्मक उपाय।

• आत्म-निर्भर पैकेज के भाग के रूप में घोषित किए गए संरचनात्मक सुधार, जिनमें अन्य के साथ-साथ कृषि क्षेत्र का विनियमन, एमएसएमईस की परिभाषा में बदलाव, नई सार्वजनिक उपक्रम नीति, कोयला खनन का व्यावसायीकरण, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में उच्च एफडीआई सीमा, औद्योगिक भूमि /लैंड बैंक और औद्योगिक सूचना प्रणाली का विकास, सामाजिक अवसंरचना के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग योजना का पुनरुद्धार, नई पावर टैरिफ नीति और राज्यों को क्षेत्र सुधारों के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है।

(ख) और (ग): सरकार अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री और रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से विनिवेश की नीति का अनुसरण करती है।

रणनीतिक विनिवेश आशय प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ उन सीपीएसईस में सरकारी शेयरधारिता के पर्याप्त हिस्से की बिक्री से है जो 'प्राथमिकता वाले क्षेत्रों' में नहीं हैं। इस प्रयोजन हेतु नीति आयोग को ऐसे सीपीएसईस की (i) राष्ट्रीय सुरक्षा; (ii) अप्रत्यक्ष तौर पर शासकीय कार्य और (iii) बाजार अभाव तथा सार्वजनिक उद्देश्य के मापदंडों के आधार पर पहचान करने के लिए अधिदेशित किया गया है इसके अलावा कुछ अन्य सीपीएसईस में सरकार समय-समय पर प्रचलित बाजार परिस्थतियों पर निर्भर करते हुए प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के बिना अल्पांश हिस्सेदारी का विनिवेश सेबी-अनुमोदित विभिन्न पद्धतियों जैसे कि आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), बिक्री की पेशकश (ओएफएस), शेयरों की वापसखरीद और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफस) पेशकश के माध्यम से करती है।

(घ) एवं (ड.): नीति आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर, सरकार ने वर्ष 2016 के बाद से 34 मामलों में रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है, जिनमें से 08 मामलों में रणनीतिक विनिवेश पूरा कर लिया गया है। 6 सीपीएसईस समापन और मुकदमे के विचाराधीन हैं शेष 20 सौदे विभिन्न चरणों में हैं। ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(च) : रणनीतिक विनिवेश करने पर, कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण रणनीतिक खरीदार के हाथ में होगा। रणनीतिक बिक्री के निबंधनों और शर्तों को निर्धारित करते समय कर्मचारियों से संबंधित हित-चिंताओं को सरकार और रणनीतिक खरीदार के बीच संपन्न शंयर खरीद करार (एसपीए) में किए गए उपयुक्त प्रावधानों के जरिए दूर किया जाता है।

*****

अनुबंध

सहायक कंपनियों, इकाईयों और संयुक्त उद्यमों सहित उन सीपीएसईस की सूची जिनके रणनीतिक विनिवेश के लिए सरकार ने 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है।

क) <u>संपन्न सौदे</u>

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.
2.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (आरईसी)
3.	हॉस्पिटल सर्विसेस कंसल्टेंसी लि. (एचएससीसी)
4.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन(एनपीसीसी)
5.	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (डीसीआईएल)
6.	टीएचडीसी इंडिया लि. (टीएचडीसीआईएल)
7.	नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. (नीपको)
8.	कामराजार पोर्ट लि.

ख) <u>समापन हेतु विचाराधीन</u>

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
9.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन लि. (एचएफएल)
10.	स्कूटर्स इंडिया लि.
11.	भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लि.
12.	हिन्दुस्तान प्रीफैब लि. (एचपीएल)

ग) <u>मुकद्दमे के अधीन होने के कारण रोके गए सौदे</u>

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
13.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.
14.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लि.

घ) <u>प्रक्रियाधीन सौदे</u>

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
15.	प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लि.
16.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि.
17.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी इंडिया लि.
18.	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई) की इकाईयां
19.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि.

20.	भारत अर्थ मूवर्स लि. (बीईएमएल)
21.	फेरो स्क्रेप निगम लि. (सहायक कंपनी)
22.	एनएमडीसी का नागरनार स्टील प्लांट
23.	सेल का अलॉय स्टील प्लांट दुर्गापुर; सेलम इस्पात संयंत्र; भद्रावती इकाईयां
24.	पवन हंस लि.
25.	एयर इंडिया और इसकी पांच सहायक कंपनियां और एक संयुक्त उद्यम
26.	एचएलएल लाइफकेयर लि.
27.	इंडियन मेडिसिन एण्ड फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लि. (आईएमपीसीएल)
28.	भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) की विभिन्न इकाईयां
29.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल)
30.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)
31.	(क)भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. को छोड़कर) (ख) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. में बीपीसीएल की हिस्सेदारी किसी रणनीतिक खरीदार सीपीएसई को
32.	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई)
33.	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कोन्कोर)
34.	नीलाचल इस्पात निगम लि. (एनआईएनएल)